न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुधाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 142 वर्ष 2024

आवेदक–जगदीश महतो		केता–सुनिल कुमार महतो	
ग्राम–बंदियो	टोला–लाहरबेड़ा	ग्राम–बंदियो	टोला–लाहरबेड़ा
थाना– चन्द्रपुरा	जिला–बोकारो	थाना–चन्दपुरा	जिला–बोकारो

आदेश की क0सं0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर कार्रवाई टिप्पणी
05/12/24		

आदेश

यह वाद आवेदक–जगदीश महतो, पिता–स्व0 तुलसी महतो, ग्राम–बंदियो, टोला–लाहरबेड़ा, थाना–चन्द्रपुरा ,जिला–बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नाकिंत जमीन, विवरणी निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
बंदियो	94	11	988	0.82 ए0	0.14 डी0	धान खेत।।

को वो आवश्यक कार्य हेतु मो 1,86,000/–(एक लाख छियासी हजार) रूपये में केता–सुनिल कुमार महतो पिता–श्री खिरोधर महतो ग्राम–बंदियो, टोला–लाहरबेड़ा, थाना–चन्द्रपुरा जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 812/रा0, दिनांक 13.07.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा के पत्रांक–727, दिनांक–25.09.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिक्रेता एंव केता दोनों कुर्मी(महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग जाति के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एंव केता दोनों एंक ही जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में चमारी महतो के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ सं0–39, भौलुम सं0–I में विशु महतो, केशु महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष–2022–23 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. खतियानधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध परदादा का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिक्रेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में चमारी महतो के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ सं0–39, भौलुम सं0– I में विशु महतो, केशु महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष–2022–23 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिक्रेता– खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की

छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव **स्वय के नाम आधार** कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एंव अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिकेता एंव केता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिकेता एंव केता दोनों एंक ही जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान के आधार पर हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक– जगदीश महतो, पिता–स्व0 तुलसी महतो, **ग्राम–बंदियो, टोला–लाहरबेड़ा,** थाना–चन्द्रपुरा ,जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
बंदियो 94	11	988	0.82 ए0	0.14 ए0	नारायण महतो, वगै0	छत्रधारी महतो वगै0	पी0सी0सी0 रास्ता	कार्तिक महतो वगै0
			कुल	14 डी0 (चौदाह डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 1,86,000/–(एक लाख छियासी हजार)रूपय या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से केता– सुनिल कुमार महतो पिता–श्री खिरोधर महतो ग्राम–बंदियो, टोला–लाहरबेड़ा, थाना–चन्द्रपुरा जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.02.24 13:14:15 +05:30
Location: 10.93.6.142